

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940

No. 414]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2018

फा.सं.पीएनजीआरबी/अथो/सीजीडी/अमेंड/2018/3—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने हेतु कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने हेतु कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2018" कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने हेतु कंपनियों को प्राधिकृत करते हुए) के विनियम 7 (1) (क) के प्रावधान के स्थान पर परंतुक निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा—

"बशर्ते कि (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों; (ii) पंचकूला (पहले से ही अधिकृत क्षेत्रों के अतिरिक्त), शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों, (iii) बाड़मेर, जैसलमर और जोधपुर जिलों, (iv) दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिलों और (v) नैनीताल और बिजनौर जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में, स्टील पाइपों के माध्यम से

प्रकृतिक गैस की आपूर्ति करना अनिवार्य नहीं है। तथापि प्राकृतिक गैस को सभी प्रभार क्षेत्रों में पहुंचना होगा। तदनुसार, बोली लगाने के मापदंड और उनसे संबंधित महत्व निम्नानुसार होंगे :"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./336/18]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को सा.का.नि. 196 (अ) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 800 (अ) दिनांक 19 नवंबर, 2008, सा.का.नि. 295 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि. 478 (अ) दिनांक 7 जून, 2010, सा.का.नि. 605 (अ) दिनांक 19 जुलाई, 2010, फा. संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/रेगुलेशन्स/रिब्यू-2011/2012-III दिनांक 21 जून, 2013, फा. संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/ बिड दिनांक 7 अप्रैल, 2014, फा. संख्या एल-विविध/VII/2007 दिनांक 1 जनवरी, 2015, फा. संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/रेगुलेशन्स/अमेंड/2015, दिनांक 13 फरवरी, पीएनजीआरबी /सीजीडी/अमेंडमेंट/2015/2, दिनांक 11 दिसंबर, 2015, फा. संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/ अमेंडमेंट/2015/2/एससी दिनांक 26 अप्रैल, 2016 और फा. संख्या पीएनजीआरबी/प्राधि/सीजीडी/अमेंडमेंट/2018 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November 2018

F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/3.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the "Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) third Amendment Regulations, 2018".

(2) They shall come into force with effect from their date of publication in the official Gazette.

2. In place of the Proviso to Regulation 7 (1) (a) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the following shall be substituted—

"Provided that in the case of the geographical areas of (i) Bilaspur, Hamirpur and Una Districts; (ii) Panchkula (except area already authorised), Shimla, Solan and Sirmour Districts, (iii) Barmer, Jaisalmer and Jodhpur Districts, (iv) Darjeeling, Jalpaiguri & Uttar Dinajpur Districts and (v) Nainital and Bijnor Districts, it is not mandatory to supply natural gas through steel-pipes. However natural gas has to reach in all charge areas. The bidding parameters and their respective weightage will, accordingly, be as under —"

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./336/18]

Foot Note: Principal regulations were notified vide no. G.S.R. 196(E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E) dated 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E) dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E) dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E) dated 19th July, 2010, F.No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated 7th April, 2014, F.No. L-MISC/VI/ I/2007 dated 1st January, 2015, F.No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015 dated 13th February 2015, PNGRB/CGD/Amendment/2015/2 dated 11th December 2015, F. No. PNGRB/CGD/Amendment/ 2015/2/SC dated 26th April 2016, F. No. PNGRB/AUTH/ CGD/Amd/2018 dated 6th April 2018 and F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2 dated 27th April 2018.